पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

"मिशन शक्ति 5.0

महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।

दिनांक- 08.04.2026

थाना मदेयगंज पुलिस टीम द्वारा डालीगंज क्रॉसिग, त्रिवेणी नगर क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला आरक्षी अर्चना पटेल, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्रान्तर्गत डालीगंज कॉसिंग, त्रिवेणी नगर में

प्रतिभाग-

- ✓ महिला अर्चना पटेल, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ महिला आरक्षी आँचल, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ थाना मदेयगंज क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत डालीगंज कॉसिंग, त्रिवेणी नगर में महिलाओ एवं बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.04.2026 को मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत थाना मदेयगंज क्षेत्र क्षेत्रान्तर्गत डालीगंज कॉसिंग, त्रिवेणी नगर में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण किया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-562
दिनांक- 07.04.2026

जोन- दक्षिणी / थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा मारपीट व रिवाल्वर मोबाइल छीनने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से छीनी गयी रिवाल्वर तथा मोबाइल फोन बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.04.2026 को शिकायतकर्ता हेमन्त सोनी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सोनी निवासी तेलीबाग वृंदावन, थाना पीजीआई, लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया की **दिनांक 06.04.2026 को प्रार्थी अपने बड़े भाई शंकर सोनी के साथ होटल एनट्रास में गया था वहाँ पर लौटते समय लगभग 10.30 बजे रात्रि गाड़ी बैक करने को लेकर** 1. रवि सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र दशरथ सिंह 2.आर्यन सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह 3.निखिल सिंह उर्फ प्रिन्स सिंह पुत्र मलखान सिंह एवम् अन्य लोग अज्ञात से विवाद हुआ, जिसके बाद विपक्षीगण स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को मेरी गाड़ी के आगे रोककर मुझे एवम् मेरे भाई शंकर सोनी को खींचकर मारा पीटा और मेरा रिवाल्वर, मोबाइल और गले में पहनी सोने की चेन छीन लिया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 **132/26** धारा **309(6) BNS** पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु तत्काल दो टीमो का गठन किया गया। दौरान विवेचना पाया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक दूसरे को पूर्व से जानते पहचानते हैं। दिनांक 06.04.2026 को होटल एंट्रास में राजा गुप्ता की पुत्री का मुंडन की पार्टी थी जिसमें दोनो पक्ष आमन्त्रित थे। घर वापस जाते समय कार पार्किंग को लेकर दोनो पक्षों में आपसी बहस हुई उस समय अभियुक्त पक्ष जिसके साथ परिवार के बच्चे भी थे अपने गांव हरिकंशगढ़ी चले गये। पुनः तीनो आरोपीगण कार से आये और वादी हेमन्त सोनी व उसके भाई शंकर सोनी जो कि फुलवरिया मोड़ पर खड़े थे उनके गाड़ी के आगे अपनी कार खड़ी करके डन्डो से दोनो भाइयों को मारा पीटा तथा हेमन्त सोनी का लाइसेंसी रिवाल्वर व उसका मोबाइल फोन सैमसंग लेकर चले गये।

पुलिस टीम द्वारा उक्त नामित अभियुक्तो रवि उर्फ विक्की, आर्यन सिंह तथा निखिल सिंह उर्फ प्रिंस की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु तलाश कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा करीब 100 सीसीटीवी कैमरे देखे गये।

दिनांक 07.04.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हुलासखेड़ा से मोहनलालगंज-गोसाईगंज की जाने वाले नहर के पास अभियुक्तगण 1. रवि सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्व0 दशरथ सिंह निवासी ग्राम हरिकंशगढ़ी थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष 2. आर्यन सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-565

दिनांक-08.04.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका हिण्डोला

- **पश्चिमी जोन सर्विलांस टीम व थाना नाका की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पीडिता के बैग काटकर सोने के आभूषण चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त ऑटो को सीज कर, चोरी किये पीली धातु के आभूषण बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 31.03.2026 को थाना नाका हिण्डोला पर वादिनी श्रीमती नीतू तिवारी पत्नी शैलेश तिवारी निवासिनी बडी जुगौली थाना गोमतीनगर लखनऊ की तहरीरी सूचना जिसमें वादिनी मुकदमा द्वारा ऑटो से जाने के दौरान उनका बैग काटकर उसमें रखे सोने के आभूषण चोरी हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0- 44/2026 धारा- 305(ख)/317(2)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना नाका पुलिस टीम व सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.मोहम्मद इकरार उर्फ कल्लू पुत्र मो0इसरार निवासी ग्राम कतुरी खुर्द थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल पता किराये पर सरौली थाना विकासनगर लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष 2.अरमान पुत्र मो0सिद्दीक निवासी म0नं0 10 गौस नगर खुदानपे नासिर फार्म के बगम में थाना मडियांव लखनऊ उम्र 43 वर्ष 3.अफजाल अहमद पुत्र यासीन निवासी ग्राम दहीरपुर पोस्ट जालपुर थाना नागल जनपद बिजनौर उम्र 45 वर्ष को दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से दिनांक 07.04.2026 को समय 21.59 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से घटना से संबंधित 05 अदद पीली धातु के ठोस तार बरामद करते हुये घटना मे प्रयुक्त आटो रजि0नं0 UP32VN6221 को सीज करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ मे बताया कि अकेली महिला/पुरूष सवारी को आटो मे बैठाते हुये कुछ दूर जाकर आगे बैठे अपने साथी को पीछे की सीट पर अन्य साथियों के साथ बैठकर उसके सामान को महिला से हटाते हुये महिला का ध्यान बाटकर महिला/सवारी के बैग से आभूषण- रूपये आदि किमती सामान आदि निकाल कर अपराध कारित करते है पुलिस पकड़े से बचने के लिये मिले माल को गलाकर उसको नया आकार देकर आपस मे बांट लेते है।

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 44/2026 धारा- धारा 305(ख)/317(2)/238 बीएनएस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मोहम्मद इकरार उर्फ कल्लू पुत्र मो0इसरार निवासी ग्राम कतुरी खुर्द थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल पता किराये पर सरौली थाना विकास नगर लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष

2- अरमान पुत्र मो0सिद्दीक निवासी म0नं0 10 गौस नगर खुदानपे नासिर फार्म के बगम में थाना मडियांव लखनऊ उम्र 43 वर्ष

3- अफजाल अहमद पुत्र यासीन निवासी ग्राम दहीरपुर पोस्ट जालपुर थाना नागल जनपद विजनौर उम्र 45 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-564
दिनांक 08.04.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 18 वर्षो से फरार चल रहा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय स्पे0 जज ए0एस0एम0/सीबीआई लखनऊ द्वारा वाद संख्या- 996/08 सम्बन्धित अपराध संख्या- 03/2008 धारा 396 भादवि थाना इटौंजा से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी - गुड्डू पुत्र सियाराम निवासी भन्सारी थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी उम्र 37 बर्ष की गिरफ्तारी हेतु वारण्ट निर्गत किया गया था। वारंटी गुड्डू उपरोक्त जिसके द्वारा डकैती का अपराध कारित किया गया था एवं विगत 18 (अठ्ठारह) वर्षों से बादस्तूर फरार चल रहा था जिसे थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा उच्च कोटि की सुरागरसी पतारसी करते हुये अथक प्रयास के उपरान्त वारंटी गुड्डू उपरोक्त के अंकित पते पर दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए आज दिनांक 08.04.2026 को हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

18 वर्षों से फरार चल रहे डकैती के वारंटी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन न करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. गुड्डू पुत्र सियाराम निवासी भन्सारी थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी उम्र 37 बर्ष (व्यवसाय-निल)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना इटौंजा लखनऊ
2. मु0आ0 संतोष कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-563

दिनांक-08.04.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **थाना दुबग्गा पुलिस टीम द्वारा गद्दी गैंग के सक्रिय सदस्य को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की पुलिस बल टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण व रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रेलवे लाइन किनारे कल्लन खेड़ा से शाहपुर भमरौली आने वाले सूनसान मार्ग पर गद्दी गैंग के सक्रिय सदस्य–जो अवैध तमंचा व कारतूस सहित कोई घटना कारित करने की फिराक मे था अभि0 मोहम्मद साहिल पुत्र स्व0 मोहम्मद शमशाद निवासी बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स के पास शाहपुर भमरौली थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित दिनांक 07.04.2026 समय 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 116/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली दुबग्गा कमि0 लखनऊ पंजीकृत किया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त मो0 साहिल उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवा गया। अभियुक्त मो0 साहिल बहुत ही अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है तथा गद्दी गैंग का सक्रिय सदस्य है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद साहिल पुत्र स्व0 मोहम्मद शमशाद निवासी बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स के पास शाहपुर भमरौली थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

मु0अ0स0 116/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली दुबग्गा कमि0 लखनऊ

04-बरामदगी:-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

1. उ0नि0 मसीद खान थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ
2. उ0नि0 देवेन्द्र यादव थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ
3. हे0का0 सुभान खान थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ
4. का0 विपिन मौर्या थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ